

सम्पति अवभार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 275 / 2020

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Kanti Kumari through Adv. S. Pradhan ने मेरे पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में ओर उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० up to date की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है:-

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रकृति के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Pundag no-228 Ranchi Khata no. 247 plot no-506 Area: 6.50							

Eklavya Estate Pvt. Ltd.

Kanti Kumari

Managing Director

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-बंधक -पत्र की दशा में व्याज का दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वशर्त कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोड़ा उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नहीं चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर A. Seema

(पदनाम):- 28/2/22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर.....

(पदनाम):-

कार्यालय S. Ro - Kanke

तारीख 28/2/22



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
28-2-22

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिलिपि लेना चाहते हो, अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण -पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ एवं अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चुंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण -पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चुंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

जो 84 रंजी, रो 28-2-22 अग्र. Kanti kumar को 30 320
जो 44 Manager ICICI H.F. Com. Ltd Ranchi को
अग्र.

Eklavya Estate Pvt. Ltd.

Kanti Kumar

Managing Director

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांके)

28-2-22

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं० 1168/2022

आवेदन सं०

चूँकि श्री Kanti Kumar ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के निबंधित सव्यवहारों और अभवारों का सविवरण प्रमाण-पत्रा दिया जाय,
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अवभारों के बारे में यही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2010 to से ता० 12/8/2011 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है -

क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रवर्षित के प्रति निदेश		
				निष्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mouza - Pundag, P.S. Jagannathpur - P.S. NO-228 Mote NO-247 plot NO-506 Sub plot NO-506/ Part Area 66.50 decimal Dist- Sonchi					vide dt/NO-2057 249 copies & out draft are not available Sonchi		

Eklavya Estate Pvt. Ltd.
Kanti Kumar
Managing Director

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

1. बंधक - पत्र की दशा में लाभ की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले कि अन्य संव्यवहार और अवभारों का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया -

हस्ताक्षर :- *Mone*
07/3/22
(पदनाम) :-

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर :- *B. K. 3*

(पदनाम) :-

कार्यालय :- D&L Office, Oranchi

तारीख : 07/3/22



Munshi
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
07/3/22

टिप्पणी: इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हैं अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ना ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

07/3/22 346 dt 07/3/22 & see all confi kumar's list to the manager SBI Bank

dt. Oranchi

Eklavya Estate Pvt. Ltd.

Ravi Kumar

Managing Director

Munshi
निबंधन पदाधिकारी
07/3/22

सम्पति अवभार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 406/2022

आवेदन सं०.....

चूंकि श्री Kashinath Kashyap & others द्वारा Adv. S. Pradhan के पास आवेदन किया है, कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण -पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में वही I में और उससे सम्बन्ध अनुक्रमणियों में ता० 13-9-2011 से ता० up to date तक की तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है:-

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेजों का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Village Pundag no-228 Ranchi Khata no. 241 plot no. 506 Area:- 13 dec	2-1-2021	Gift			2	2021	115 168
		do	D. Agreement			2	2021	59 114
				Eklavya Estate Pvt. Ltd. Kanti Kumar Managing Director				

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-बंधक -पत्र की दशा में व्याज का दर और मुग्तान की अवधि दर्ज करें। वशत कि इनके बारे में उल्लेख हो।

2-पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उर्पयुक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोडा उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नही चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया:-

हस्ताक्षर *A. S. Kumar*

(पदनाम):- 24-3-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर.....

(पदनाम):-

कार्यालय S. R. O. Kanur

तारीख 24-3-22



निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

24-3-22

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से गिन विवरण देकर किन्हीं इन्ही संपत्तियों की निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो अथवा जो उनके प्रतिलिपि लेना चाहते हो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का मुगतान करने पर बहियाँ एवं अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय में अपेक्षित तलाशी अपने मरसक सवधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गए तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।

(3) और चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढ़े गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न दूढ़े गये ऐसे संव्यवहारों अवमार की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

श्री 127 सी. ए. नं. 24-3-22 ए. ए. ए. K. V. Kashyap & Other के श्री
श्री 50 एम. ए. ए. 1/1/1 H. Finance Branch के
श्री 2/1/1

Eklavya Estate Pvt. Ltd.

Ravi Kumar
Managing Director

निबंधन पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (कांके)

24-3-22

सम्पत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं०1568...../2022

आवेदन सं०

चूंकि श्री Kash Nath Kash ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के निबंधित सव्यवहारों और अभवारों का सविवरण प्रमाण-पत्रा दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति की प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और अबभारों के बारे में यही 1 में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2010 से ता० : 12/09/2011 तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अबभारों का पता चला है -


क्रम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निश्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रवर्षित के प्रति निदेश		
				निश्पादन	दावेदार	जिल्द सं.	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza: <u>Pardes</u> PS No: <u>228</u> PS: <u>Jaganathpur</u> Khata No <u>247</u> Plot No <u>506</u> Area: <u>13 decimals</u> Dist: <u>Ranich</u>						<u>DNC-</u>	<u>123/3</u> <u>1974</u>
Eklavya Estate Pvt. Ltd. Rauti Kumar Managing Director								

दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

1. बंधक - पत्र की दशा में लाभ की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।
2. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले अन्य संव्यवहार और अवधारों का पता नहीं चला है।


निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया -

हस्ताक्षर :- 

(पदनाम) :-


तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्तियों ने की


हस्ताक्षर :-

(पदनाम) :- 

कार्यालय :- DSR Office Ranesh

तारीख : 25/03




 निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
25/03 25/03

टिप्पणी: इस प्रमाण में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदन द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्ही संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (इन्डेक्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।


(1) निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हैं अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हैं अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगी।


(3) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ना ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।


 4420th Kashi Nath Kashiya's Office Ranesh
Manager ICICI Bank Ranesh

Eklavya Estate Pvt. Ltd.



Managing Director



 निबंधन पदाधिकारी
25/03 25/03